

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा
पन्नाधाय सर्कल, आजाद नगर, खनिज भवन, भीलवाड़ा
फोन नं. 01482-240247 वेब साईट sme_bhl@yahoo.com

क. अखअ/भील.-वृत/रिलि अप्रधान ठेका/2009/102

दिनांक - 18.05.09

निविदा विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 32,35 एवं 36 में वर्णित शर्तों एवं अनुबन्धों व प्रदत्त अधिकारों के तहत इस वृत के अधीन अधिक अधिशुल्क संग्रहण तथा अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रहण ठेके दिये जाने हेतु सील बन्द निविदाएँ निम्नांकित तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार आमन्त्रित की जाती हैं।

अंकित तिथि को अवकाश होने पर निविदाये अगले कार्य दिवस में ली जावेगी एवं खोली जावेगी।

क्र. सं.	ठेका क्षेत्र का विवरण	खनिज	ठेके की आरक्षित राशि रुपये (वार्षिक)	ठेके की अवधि	कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तिथि एवं कार्यालय का नाम	निविदा प्राप्त किये जाने की दिनांक, समय व स्थान	निविदा खोलने की दिनांक समय व स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अधिक अधिशुल्क वसूली ठेका खनिज चुनाई पत्थर क्षेत्र जिला भीलवाड़ा की तहसील भीलवाड़ा व तहसील सहाड़ा को राजस्व सीमा में स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज	चुनाई पत्थर	1,20,61,500	संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2011 तक	दिनांक 10.06.09 1. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर जोन, उदयपुर 2. खनि अभियन्ता भीलवाड़ा	दिनांक 11.06.09 को प्रातः 11 से 2 बजे तक कार्यालय - 1. निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर 2. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर जोन, उदयपुर	दिनांक 11.06.09 सांयकाल 4.00 बजे निदेशालय उदयपुर में अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय के कक्ष में
2	अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रहण ठेका खनिज बजरी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	बजरी	4,11,151/-	संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2011 तक	दिनांक -09.06.09 1. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत भीलवाड़ा। 2. सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा	दिनांक - 10.06.09 को प्रातः 11 से 2 बजे तक कार्यालय - 1. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत भीलवाड़ा। 2. सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा	दि. 10.06.09 सांयकाल 4.00 बजे कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत भीलवाड़ा के कक्ष में

उपरोक्त ठेको के निविदा प्रपत्र, ठेके की आरक्षित दर रूपया 5.00 लाख से अधिक होने पर विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर रूपया 210/- नकद जमा करवा कर कॉलम संख्या 6 में अंकित कार्यालयों एवं दिनांक तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। ठेके की आरक्षित दर रूपया 5.00 लाख तक होने पर विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के अलावा अन्य इच्छुक आवेदकों द्वारा भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 35(d)(i) के अनुसार प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रकार से धरोहर राशि व दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है :-


1. धरोहर राशि :-

अ. रु 2.00 करोड़ तक की निविदा हेतु निविदा राशि का 10 प्रतिशत।

ब. रु 2.00 करोड़ तक की निविदा राशि हेतु रु 20.00 लाख एवं रु 2.00 करोड़ से उपर की अतिरिक्त अधिक निविदा राशि का एक प्रतिशत।

2. ठेके के संबंध में विस्तृत विवरण/शर्तों की जानकारी सम्बन्धित खनि अभियन्ता /सहायक खाने अभियन्ता व इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय समय में देखी जा सकती है/प्राप्त की जा सकती है।

3. उक्त निविदा विज्ञप्ति विभागीय वेब साईट www.dmg-raj/notices-hindi.htm/dipr पर भी उपलब्ध हैं।


अधीक्षण खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा वृत भीलवाड़ा